

- 9- उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमन शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।
- 10- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/सशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापिस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
आगरा मण्डल, आगरा

पू०सं०/एस०टी०/एन०ओ०सी०/2285-92

/2013-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- मण्डलायुक्त, आगरा।
- 2- सचिव (सा०शि०) उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा (7) अनुभाग, लखनऊ।
- 3- शिक्षा निदेशक (सा०) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी, ~~मैनपुरी~~
- 5- जिला विद्यालय निरीक्षक, ~~मैनपुरी~~
- 6- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- प्रबन्धक, डा० किरन सौजिया सीनियर सेकेंड्री एजुकेशन एकेडमी, अशोक नगर, कुरावली रोड, मैनपुरी
- 8- गार्डफाइल।

संयुक्त शिक्षा निदेशक
आगरा मण्डल, आगरा

15/06/2013